



सेवास्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता-गाजियाबाद वृत्त,

वसुन्धरा काम्प्लेक्स, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद,

दूरभाष सं०-0120-4133277, ई-मेल-circle7@upavp.com



दिनांक:- 07-05-2025

पत्र सं०-1778

1 ENG-4B

1 43

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा एकल/टू-बिड पद्धति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01/02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यों की मात्राएँ बी०ओ०क्यू० के अनुसार होगी, जो घट या बढ़ सकती है। ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएंगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-2ए व 10ए में परिषद के रिक्त भूखण्डों पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य।	32.50 + GST अतिरिक्त	0.65 लाख	02 माह	1500.00 + 18% GST	सिंगल बिड	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01
2	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में 50.00 मी० चौड़ी मुख्य सड़क के दोनों तरफ 9.00 मी० चौड़ी सर्विस रोड तथा आर०सी०सी० ट्रंक नालियों एवं पुलियों का निर्माण कार्य।	2750 + जी०एस०टी० अतिरिक्त { (i) बिटुमीनियस सर्विस रोड निर्माण की अनुमानित लागत 750 लाख + GST अतिरिक्त (ii) RCC ट्रंक नालियों एवं पुलियों के निर्माण की अनुमानित लागत 2,000 लाख + GST अतिरिक्त }	55 लाख	15 माह	7500 + 18% जीएसटी	टू-बिड	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02
3	संजय विहार योजना संख्या-2, हापुड़ में सड़कों के सुदृढीकरण एवं 16 नग पार्कों की मरम्मत का कार्य।	100 + जी०एस०टी० अतिरिक्त { (i) बिटुमीनियस सड़कों के सुदृढीकरण की अनुमानित लागत 75 लाख + GST अतिरिक्त (ii) 16 नग पार्कों की मरम्मत की अनुमानित लागत 25 लाख + GST अतिरिक्त }	2 लाख	06 माह	4500 + 18% जीएसटी	टू-बिड	
4	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-2 में निर्मित एस०टी०पी० से शोधित जल के विक्रय का कार्य।	उच्चतम बोली हेतु बेस प्राईस रु०-5.00 प्रति किलो लीटर	10,000 .00 रु	365 दिन	500 + 18% जीएसटी	सिंगल बिड	

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC CODE	निविदा क्र०सं०
अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-02, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	Indian Bank, Vasundhara, Ghaziabad	50017120249	IDIB000V515	2,3,4
अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	Indian Bank, Vasundhara, Ghaziabad	236601000005555	IOBA0002366	1

2. महत्वपूर्ण तिथियां:-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक	समय	निविदा क्र०सं०
1	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर०टी०जी०एस० करने की प्रारम्भ तिथि	13.05.2025 15.05.2025	पूर्वाह्न 10:00 बजे से	1,4 2,3
2	धरोहर राशि की आर०टी०जी०एस० करने की अन्तिम तिथि	20.05.2025 10.06.2025 02.06.2025	अपराह्न 12:00 बजे तक	1,4 2 3
3	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	20.05.2025 10.06.2025 02.06.2025	अपराह्न 12:00 बजे तक	1,4 2 3
4	बिड खोले जाने की तिथि	21.05.2025 11.06.2025 03.06.2025	अपराह्न 15:00 बजे	1,4 2 3

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रु०-100/-का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रु०-1/- की रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, की स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी। तथा उसके सभी देयकों लेबर-सेस, इन्कम टैक्स एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- बी०ओ०क्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ०प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०एस०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
- किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
- निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.com एवं उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहे, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार/फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
- कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा स्थल की भौगोलिक स्थिति विषयक कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
- निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
- उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

14. क्रम सं० 2 व 3 पर अंकित कार्यों में यदि कोई बदलाव होता है अथवा घटोतरी/बढ़ोतरी होती है, तो उक्तानुसार फर्म/ठेकेदार को कार्य पूर्ण करना होगा तथा उक्त हेतु फर्म/ठेकेदार को नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि/समयवृद्धि इत्यादि यदि आकलित होती है तो नियमानुसार देय होगी।
15. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है, तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाला जायेगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा की दर, बी०ओ०क्यू० में अंकित दरों के सापेक्ष कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, दरें कम (Below) मानी जायेगी।
18. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे, जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
क. फर्म का पैन कार्ड।
ख. फर्म का जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र।
ग. वांछित अनुभव प्रमाण-पत्र।
घ. निविदा प्रपत्र/धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर०टी०जी०एस० का यू०टी०आर० नम्बर की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा।
ङ. फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
19. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
20. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में, जोकि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी०पी०डब्ल्यू-9 फार्म में उल्लिखित क्लोज (1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि की स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
22. यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है अथवा कार्य के निर्धारित अवधि में विलंब होता है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
23. शासनादेश सं०-1345/86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्री का ISTP उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
24. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्यस्थल पर फर्म को कार्य तथा कार्यरत कार्मिकों हेतु सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा।
25. ई-टेंडरिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ई-टेंडरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के परिषद में पंजीकृत निविदादाता ही पात्र होंगे। वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
26. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2/आडिट/08-टी०सी०/02 दिनांक 08.06.2012 एवं आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय के पत्रांक-1282/एम-2/दिनांक 02.04.2023 के अन्तर्गत निविदा की दर बी०ओ०क्यू० से (Below) देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/बैंक गारण्टी के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी। वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम सात दिनों के अन्दर मुख्यालय के आदेश सं०-4196/दिनांक 14.09.2018 के अनुसार जमा करनी होगी अन्यथा निविदा में संलग्न धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफार्मेंस/सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित शासनादेश में निहित प्रक्रिया के अनुसार अवमुक्त की जायेगी।
(क) 10 प्रतिशत Below दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर 0.50 प्रतिशत।
(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत।
27. निविदादाता/फर्म को तालिका के कालम 3 में अंकित सभी कार्यों की अनुमानित लागत के सापेक्ष पिछले 05 वर्षों में समान प्रकृति के कार्यों को निम्नानुसार यथा
अ. अनुमानित लागत के कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
अथवा
ब. अनुमानित लागत के कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
अथवा
स. अनुमानित लागत के कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।

- पूर्ण किये जाने का अनुभव अवश्य होना चाहिए एवं निविदादाता/फर्म को उपरोक्त अनुसार पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग/अनुभाग से प्राप्त कर, अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
28. कार्यस्थल पर समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा वायु प्रदूषण रोकथाम हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाएँ फर्म को अपने व्यय पर स्वयं करनी होंगी।
 29. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
 30. ई-निविदा के साथ निविदादाता को प्री-क्वालिफिकेशन की शर्तों/चैक लिस्ट के अनुसार वांछित प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
 31. कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
 32. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होंगी।
 33. जी0पी0डब्लू0-9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
 34. एन0जी0टी0 सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
 35. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
 36. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आक्समिक रुप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
 37. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चौकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती, ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
 38. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार फर्म पर पैनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
 39. निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्व-स्वामित्व/अनुबन्धित हेने सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
 40. निर्माण के दौरान, जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा एवं सुरक्षा सम्बन्धित उपायों को अनुपालन करना होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
 41. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/ MORTH/IRC/ एन0ओ0आर0टी0एस0, यू0पी0पी0सी0एल0 (विद्युत कार्यों हेतु) एवं परिषद की निर्धारित नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
 42. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-)परिवर्तन (बढ़ोतरी/घटोतरी) हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 43. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि कार्य एवं उक्त मद में रोकी जाने वाली धनराशि तकनीकी बिड के अनुसार होगी।
 44. ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक बीजक के साथ उपभोग की गई निर्माण सामग्री की समान मात्रा में रायल्टी प्रपत्र (MM.11) प्रस्तुत करना होगा। जांच के दौरान अवैध/फोटोप्रति पाये जाने पर नियमानुसार कटौती कर धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा की जायेगी।
 45. समग्री की टेस्टिंग (ज्मेजपदह) ठेकेदार के व्यय पर की जायेगी।
 46. निविदा प्रपत्र के साथ ही टी0-4, टी0-5, अर्थात् वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पर अपलोड करना अनिवार्य है।
 47. किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जनपद गाजियाबाद होगा।
 48. निविदा बी0ओ0क्यू0 के किसी आइटम के विवरण यदि टंकण त्रुटिवश अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण रह जाता है तो उस आइटम का विवरण UPPWD SOR/DSR के सम्बन्धित आइटम का विवरण ही मान्य होगा।
 49. समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
 50. फर्म के नाम अथवा फर्म द्वारा लीज/किराये पर लिया गया हॉट मिक्स प्लान्ट से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
 51. फर्म के नाम अथवा फर्म द्वारा लीज/किराये पर लिया गया आर0एम0सी0 प्लान्ट/Batch mix Plant से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
 52. निर्माण स्थल पर कार्य करने के दौरान यदि किसी प्रकार की सर्विसेस क्षतिग्रस्त होती है तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को अपने व्यय पर मरम्मत करानी होगी।
 53. निर्माण स्थल पर खुदाई करते समय यदि कोई वृक्षारोपित पौधों को नुकसान होता है तो उसे अपने व्यय पर दूसरे स्थल पर स्थानान्तरित/रोपित करना होगा।

(अजय कुमार मित्तल)
अधीक्षक अभियन्ता

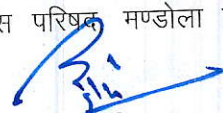
दिनांक-

पृ0सं0 1778

/उक्त/

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई-निविदा सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड बागपत-01/02/03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।
6. सहायक अभियन्ता(तक0), निर्माण खण्ड-गाजियाबाद-02, गाजियाबाद।
- 7- नोटिस बोर्ड।


अधीक्षण अभियन्ता